POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 03.01.2026

1. थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले 02 अभियुक्त व शव को छिपाने में मदद करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड व शव छिपाने में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 02.01.2026 को आवेदिका द्वारा थाना सेक्टर-126 पर अपने पति अजय मुखिया उम्र लगभग 24 वर्ष की हत्या होने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0002/2026 धारा 103 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधिकारीगण द्वारा स्थानीय पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से डाटा एकत्र किया गया एवं बीट पुलिसिंग व लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से जानकारी लेते हुए गोपनीय सूचना के आधार पर 24 घंटे के भीतर ही घटना का सफल अनावरण करते हुये **दिनांक 03.01.2025** को मृतक अजय की हत्या करने वाले दो अभियुक्त 1.राम वचन मांझी 2.साजन मांझी उर्फ सज्जन मांझी को असगरपुर से रायपुर की तरफ जाने वाले पुश्ता रोड़ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक अजय का मोबाइल फोन व एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में मृतक अजय की हत्या के पश्चात उसके शव को छिपाने में मदद करने वाला अभियुक्त अशोक को भी रायपुर पुश्ता कट से **गिरफ्तार** किया गया है।

पूछताछ/घटना का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त रामवचन द्वारा बताया गया कि मृतक अजय मुखिया उसका सगा साढू था तथा दोनों रायपुर पुस्ता क्षेत्र में अगल-बगल की झुग्गियों में रहते थे, जिससे पारिवारिक रिश्तों के कारण मृतक अजय का उसके घर आना-जाना बना रहता था। अभियुक्त रामवचन को जानकारी हुई कि मृतक अजय उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिससे पारिवारिक विवाद उत्पन्न हुआ। इसी बात को लेकर उसने मृतक अजय को कई बार समझाया तथा लगभग 20–25 दिन पूर्व मृतक से इसी कारण कहासुनी/विवाद भी हुआ था। विवाद के चलते अभियुक्त ने अपने रिश्तेदार/ दूसरे सगे साढू साजन से इस संबंध में चर्चा की और दोनों ने मिलकर मृतक अजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजनानुसार दिनांक

28.12.2025 को अभियुक्त साजन द्वारा मृतक अजय को शराब पीने के बहाने रायपुर क्षेत्र में बुलाया गया। तत्पश्चात अभियुक्त रामवचन व साजन, मृतक अजय को ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128 नोएडा ले गये, जहाँ उसे अधिक मात्रा में शराब पिलाई गई। जब मृतक अत्यधिक नशे की अवस्था में हो गया, तो अभियुक्तगण उसे ई-रिक्शा में बैठाकर असगरपुर पुश्ता क्षेत्र में ले गये जहां सुनसान स्थान पर पहुँचने पर साजन व रामवचन द्वारा अजय के साथ काफी मारपीट की गई। मारपीट के बाद साजन द्वारा अजय के हाथ पकड़े गये तथा रामवचन द्वारा उसका गला व मुंह दबाया गया, जिससे अजय की मृत्यु हो गई। इसके बाद दोनों अभियुक्त शव को मौके पर ही मिट्टी में छिपाकर अपने-अपने घर चले गये। अगले दिन शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अभियुक्तों ने अपने परिचित अशोक पुत्र आनंदी मांझी को शामिल किया। तत्पश्चात तीनों अभियुक्तों द्वारा शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर ई-रिक्शा के माध्यम से घोड़ा फार्म/जिंदल फार्म के सामने पुश्ता रोड़ के किनारे बने गहरे नाले में फेंक दिया गया, ताकि शव का पता न चल सके। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि संदेह से बचने के उद्देश्य से उनके द्वारा मृतक की तलाश का दिखावा किया गया ।

अभियुक्तों का विवरण--

1. राम वचन मांझी पुत्र सिरी मांझी निवासी ग्राम भुजहार शंकरपुर, थाना रसराह, जिला समस्तीपुर, बिहार वर्तमान पता झुग्गी झोपडी पुस्ता के नीचे, रायपुर, सेक्टर-126, नोएडा उम्र 28 वर्ष।
2. साजन मांझी उर्फ सज्जन मांझी पुत्र राम किशन माझी निवासी ग्राम न्योरीघाट, थाना सिंघियां, जिला समस्तीपुर, बिहार वर्तमान पता ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128 नोएडा उम्र 35 वर्ष।
3. अशोक पुत्र आनंदी मांझी निवासी ग्राम सलमपट्टी, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार वर्तमान पता निवासी रायपुर पुश्ता, सेक्टर- 126, थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण–

1. मृतक अजय के शव को छिपाने में प्रयुक्त ई रिक्शा
2. मृतक अजय का मोबाइल फोन व एटीएम कार्ड

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 002/2026 धारा 103/238 बी.एन.एस थाना सेक्टर-126, नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 कार टाटा नेक्सोन व कार की चाबी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **03.01.2026** को **थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस** टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांक की सहायता से थाना सेक्टर-113 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-03/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त 1.लोकेश नागर पुत्र भगत सिंह 2.अरुण भारद्वाज पुत्र स्वर्गीय शिवदत्त भारद्वाज 3.अमित नागर पुत्र स्वर्गीय संजय नागर को पर्थला डूब क्षेत्र कब्रिस्तान सर्विस रोड़ पर थाना सेक्टर-113 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 कार टाटा नेक्सोन ग्रे रंग (बिना नम्बर प्लेट) व कार की 01 चाबी बरामद की गयी है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त अरूण, फाइंसेस पर सैकेंड हैंड कार बिकवाता था, फिर उनकी किस्त तुड़वाकर सस्ते दामों पर बैंक से सेटल करवा लेता था। इससे महंगी गाड़ी सस्ते में मिल जाती थी और फिर अभियुक्त उस गाड़ी को आगे बेच देता था। अभियुक्त द्वारा वादी को कार बेचने के दौरान ही उस कार की डुप्लीकेट चाबी बना ली गयी थी व कार में GPS लगा दिया गया था। कार बेचने के उपरान्त कार ट्रांसफर होने से पहले ही अपने साथी लोकेश व अमित से कार को चोरी करवा लिया गया था। उक्त कार पर फाइनेंस भी तथा अभियुक्त अरूण(डीलर), वादी से गाड़ी के पूरे पैसे प्राप्त कर चुका था। अभियुक्त, गाड़ी को चोरी करवा कर फर्जी प्रपत्र तैयार कर दोबारा अन्य किसी को बेचना चाहता था। अभियुक्त डीलर फाइ

अभियुक्तों का विवरण--

1. लोकेश नागर पुत्र भगत सिंह निवासी गांव तिगांव, थाना तिगांव, जिला फरीदाबाद(हरियाणा) उम्र 36 वर्ष, शिक्षा-12वीं।
2. अरुण भारद्वाज पुत्र स्वर्गीय शिवदत्त भारद्वाज निवासी कनिष्क टावर, थाना सेक्टर-37, फरीदाबाद जिला फरीदाबाद (हरियाणा) उम्र 39 वर्ष, शिक्षा-10वीं।
3. अमित नागर पुत्र स्वर्गीय संजय नागर निवासी गांव तिगांव, थाना तिगांव, जिला फरीदाबाद (हरियाणा) उम्र 24 वर्ष शिक्षा-10वीं।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 टाटा नेक्सोन कार ग्रे रंग
2- 01 कार चाबी

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 0003/2026 धारा 303(2)/331(4)/317(2)/3(5) BNS थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।